नरेगा अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक : एफ 4(5) आरडी/मा.द./2009–10   जयपुर, दिनांक 7/10/09

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
समस्त राजस्थान।

महोदय,

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि कतिपय ग्राम पंचायतों द्वारा उनको नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 में अग्रिम प्राप्त राशि के पश्चात अब तक कार्यों की पूर्ति हेतु सामग्री पर व्यय की गई राशि के बिलों को प्रमाणित कर बिल की प्रति पंचायत समिति कार्यालय में उपलब्ध नहीं करवाने से इस सामग्री व्यय को सम्बन्धित कार्य के एमआईएस में फीड नहीं करवाया है एवं न ही इस राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र ही जारी किया गया है। इसके बावजूद भी सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उस ग्राम पंचायत के विरूद्ध कार्यवाही करने के स्थान पर पुनः धनराशि उपलब्ध करवा दी है। अतः आप ऐसी कार्यकारी एजेसिंयों एवं कार्यक्रम अधिकारियों के विरूद्ध राजकीय धन का दुर्विनियोजन करने का प्रकरण बनाते हुए उनके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाएं ताकि योजनान्तर्गत जारी मार्गदर्शिका 2008 के बिन्दु संख्या 8.6.1 एवं 8.6.2 जो कि निम्नानुसार है की पालना की जा सके।

8.6.1 To reduce the risk of financial leakages and to promote transparency and accuracy in fund management] the practice of monthly squaring of accounts should be introduced. This consists of verifying that all the money released under NREGA is accounted for under the following three heads:

i- Money held in bank accounts at various levels.
ii- Advances to implementing or payment agencies.
iii- vouchers of actual expenses.

8.6.2 Details of the monthly squaring of accounts should be made publicly available on the internet at all levels of aggregation.

साथ ही नए कार्यों की वितीय स्वीकृति जारी करते समय यह सुनिश्चित किया जावे कि सामग्री मद की राशि 10 प्रतिशत से अधिक होने पर कार्यों को सावधानीपूर्वक स्वीकृत किया जावे क्योंकि वर्तमान ग्राम पंचायतों का कार्यकाल निकट भविष्य में पूरा होने वाला है एवं ऐसे कार्य अपूर्ण रहने की संभावना है। वर्तमान में ग्राम पंचायत को कार्यकारी एजेंसी बनाते हुए श्रम प्रधान कार्य जैसे प्रमुख मार्गों के दोनों ओर वृक्षारोपण की पूर्व तैयारी हेतु रिंगपिट्स, चारागाह भूमि की चतुर्सीमा पर खाई खुदाई अथवा लूज स्टोन वॉल बनाने का कार्य एवं नव प्रस्तावित ग्रेवल सड़कों में केवल अर्थवर्क का कार्य स्वीकृत करने की अधिक आवश्यकता है।

भवदीय

(आर. के. मीणा)
प्रमुख शासन सचिव

F:\VIPIN CHOUDHARY\2009-10\Mukesh Vijay\Hindi\letters -011009.doc